डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0/कुस0का0/स0वि0/2026/13292 दिनांकः 12 अगस्त , 2026

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,

NARVADESHWAR PHARMACY COLLEGE, BARABANKI (1298)

विषयः शैक्षिक सत्र 2026-27 से 2028-2029 के सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि शासनादेश 1/1129089/2025/ 16-1099/21/2025 दिनांक 31.10.2025 के प्रावधान तथा फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली के द्वारा आपके संस्थान को प्रदान किये गये अनुमोदन पर विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति द्वारा दिनांक 13.07.2026 एवं 14.07.2026 (यथा लागू) को विचारोपरान्त की गई संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासन के पत्र संख्या 1424672/2026 दिनांक 07 अगस्त, 2026, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा0 कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नांकित विवरण के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 03 वर्ष शैक्षिक के लिए (सत्र 2026-27 से 2028-29) हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है, विवरण निम्नानुसार है।

Course	Branch Name	Intake Applied	Intake Approved By PCI	Intake Approved For Affiliation
Bachelor of Pharmacy	**Bachelor of Pharmacy**	**60**	**60**	**60**

उपरोक्त अस्थायी सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तो के अधीन हैः-

1.संस्थान को विश्वविद्यालय पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष सम्बद्धता विस्तारण आवेदन व सम्बद्धता शुल्क के साथ फार्मेसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली से निर्गत एप्रूवल लेटर अपलोड करना होगा।

2.उच्च शैक्षिक प्रदर्शन तथा पारदर्शी प्रबन्धन पद्धति के मानदण्डों के सत्यापन हेतु संस्थान का यथावश्यक औचक निरीक्षण कराया जा सकता है तथा यदि संस्थान को मापदण्डों के अनुसार नही पाया जाता है तो विश्वविद्यालय/शासन द्वारा संस्थान की सम्बद्धता अवधि कम करने/सम्बद्धता समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

3.नए विषय में सम्बद्धता हेतु किसी भी आवेदन पर तब तक विचार नही किया जायेगा जब तक सम्बद्धता तथा पूर्ववर्ती सम्बद्धता की शर्ते पूरी तरह से पूर्ण की गयी है। (विनियमः 6.11)

4.प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश एंव अनुशासन के लिए निर्धारित नियमों का कठोरता से पालन करेगा। (विनियमः 6.12)

5.प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय अपने उपस्करों तथा उपकरणों के साथ अपने भवनों, पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं और सेवाओं जैसे कि इसके अध्यापन कार्य करने वाले और दूसरे कर्मचारी जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो, की सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगा। (विनियमः 6.13)

Signature Not Verified

Digitally Signed by : Reena Singh
Organisation : Personal
State : Uttar Pradesh
Postal Code : 226010 Country : IN
Serial Number :
32ce1b406a113ef6ff89616fb5efa4d362ab90d73829ff7337fd15d489e5269